मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ–4–23/2013/-2/पचपन भोपाल, दिनांक 21/12/2018

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
3. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

विषयः– शासकीय सेवक एवं उस पर आश्रित परिवारजनों के उपचार संबंधी दिशा–निर्देश।
संदर्भः– इस विभाग के समसंख्यक आदेश 28.05.2013, 11.02.2018 एवं दि. 25.04.2018

––0––

विषयान्तर्गत राज्य शासन एतद द्वारा पूर्व में जारी किए गए सभी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए शासकीय सेवक एवं उस पर आश्रित परिवारजनों के उपचार संबंधी निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी करता हैः–

1. चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पैकेज के भीतर राज्य के बाहर उपचार हेतु अनुमति–

समस्त प्रकार की अनुमति शासकीय सेवक की पदस्थापना से निकटस्थ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता स्तर से दी जाएगी। अनुमति में बीमारी का परीक्षण कर उपचार की सलाह दी जाएगी लेकिन अस्पताल विशेष को refer (संदर्भित) नहीं किया जा सकेगा। शासकीय सेवक चिकित्सा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त किसी भी अस्पताल में उपचार करा सकेगा।

2. राज्य के बाहर उपचार हेतु अग्रिम की स्वीकृति–

राज्य के बाहर उपचार की अनुमति प्रस्तुत करने पर वित्त विभाग के परिपत्र दि. 08.12.1994 सहपठित वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2012 भाग–1 मद क्र. 2.11 के अनुसार व्यय की प्राक्कलित राशि के 80% की सीमा में शासकीय सेवक का विभाग अग्रिम स्वीकृत कर सकेगा।

3. राज्य के बाहर उपचार हेतु–निर्धारित पैकेज से अधिक व्यय की स्वीकृति–

3.1 शासकीय सेवक की पदस्थापना स्थल के निकटस्थ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता से इस आशय का प्रमाणपत्र कि शासकीय चिकित्सालयों में ऐसे उपचार की व्यवस्था नहीं है।

3.2 शासकीय सेवक के भ्रमण/अवकाश पर होने की दशा मेंः–

3.2.1 प्रदेश के भीतर भ्रमण के दौरान निकटस्थ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता से इस आशय का प्रमाणीकरण कि शासकीय चिकित्सालयों में उपचार की व्यवस्था नहीं है।

3.2.2 शासकीय सेवक के भ्रमण/अवकाश पर होने की दशा में आपात स्थिति में इलाज आवश्यक होने के संबंध में जिस चिकित्सालय में उपचार कराया गया उसके अधीक्षक का प्रमाणीकरण जिसमें यह दर्शाया गया हो कि आपात स्थिति क्या थी।

3.3 शासकीय चिकित्सालयों में उपचार की व्यवस्था नहीं होने संबंधी प्रमाण–पत्र हेतु निम्न परिस्थितियाँ मान्य होगीः–

(i) चिकित्सालय में ऐसे उपचार की व्यवस्था नहीं हो।

(ii) चिकित्सालय में उपचार की व्यवस्था तो हो लेकिन ओ.टी. में स्थान अथवा चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो।

(iii) राज्य शासन के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए निजी वार्ड में स्थान उपलब्ध नहीं हो।

3.4 <u>स्वीकृति के लिए सक्षम पदाधिकारी</u>–

3.4.1 निर्धारित पैकेज राशि से 25 प्रतिशत अधिक तक की स्वीकृति के लिए संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित निम्नानुसार समितिः–

1.	संभागीय आयुक्त	अध्यक्ष
2.	अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय	सदस्य सचिव
3.	अधिष्ठाता द्वारा अधिकृत विभागाध्यक्ष	सदस्य
4.	संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा	सदस्य
5.	संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित उपायुक्त	सदस्य
6.	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें	सदस्य

3.4.2 निर्धारित पैकेज से 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अधिक तक की स्वीकृतिः– संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति एवं संचालक, चिकित्सा शिक्षा की अनुशंसा की दशा में प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर।

3.4.3 निर्धारित पैकेज से 50 प्रतिशत से अधिक राशि की स्वीकृतिः–शासकीय सेवक के प्रशासकीय विभाग द्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग से अभिमत प्राप्त कर मंत्रिपरिषद के आदेश अनुसार।

4. <u>कार्योत्तर स्वीकृति</u>–

कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों में स्वीकृत राशि निर्धारित पैकेज तक सीमित होगी लेकिन आपात स्थिति में पैकेज से अधिक व्यय की स्वीकृति के लिए सक्षम पदाधिकारी उक्त बिंदु–3.4 के अनुसार होंगे।

5. बीमारी जिसके उपचार के लिए पैकेज निर्धारित नहीं है अथवा आपात स्थिति में गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में उपचार संबंधी अनुमति–

संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर शासकीय सेवक के प्रशासकीय विभाग को, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त कर मंत्रिपरिषद के आदेश अनुसार।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की टीप क्रमांक 2172/3053/18/वित्त/नियम/चार, दिनांक 26.11.2018 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
21/12/18
(शर्मिला ठाकुर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 4–23/2013/2/पचपन **भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर, 2018**

1 **प्रमुख सचिव**, म.प्र. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर टीप क्रमांक 2172/3053/18/वित्त/नियम/चार, दिनांक 26.11.2018 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. **प्रमुख सचिव,** मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र., भोपाल।
3. **प्रमुख सचिव,** मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र., भोपाल।
4. **महालेखाकार,** मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. **आयुक्त/संचालक,** चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष स्वशासी समिति चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल/सागर/ग्वालियर /जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
7. **राज्यपाल के सचिव,** राजभवन, भोपाल।
8. **समस्त अधिष्ठाता,** चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
9. **समस्त संयुक्त संचालक एवं सहअधीक्षक,** चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय भोपाल/सागर/ ग्वालियर/ जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
10. **प्राचार्य,** दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर म.प्र.।
11. **समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,** कोष एवं लेखा, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, म.प्र.।
12. **समस्त संभागीय संयुक्त संचालाक,** स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/ इन्दौर/उज्जैन एवं रीवा, म.प्र.।
13. **संयुक्त संचालक,** जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

14 गार्ड फाईल।

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा। मध्यप्रदेश
आवक क्रमांक 4975
दिनांक 27/12/18

21/12/18
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

bhanu/order